A 4/7

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 14/2021

1 अनिल कुमार आयु 32 वर्ष पुत्र श्री स्व0 दलीप सिंह
2 सन्तो देवी आयु 55 वर्ष पत्नी स्व0 दलीप सिंह
3 महीपाल आयु 65 वर्ष पुत्र जयनारायण
4 इन्द्रसिंह आयु 58 वर्ष पुत्र जयनारायण
5 होशियारसिंह आयु 55 वर्ष पुत्र जयनारायण
समस्त जाति जाट, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1 मनरूपसिंह आयु 60 वर्ष पुत्र श्योनारायण, जाति जाट, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिडावा जिला झुंझुनूं राजस्थान।
3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुंझुनूं जिला झुंझुनूं राजस्थान।
4 सुनीता आयु वयस्क पुत्री दलीपसिंह जाति जाट, निवासी गिडानिया, तहसील चिडावा हाल निवासी बिगोदना, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान।

—– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 07.01.2001 उनवानी मनरूप बनाम दलीप अ0 धारा–251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु0न0 02/2020 (03/2019)

उपस्थित
1. श्री अवधेश कुमार, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट–- रेस्पोडेन्ट स0 1 की ओर से।
3. श्री होशियार सिंह, एडवोकेट–रेस्पोडेन्ट ...
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट स0 2 व 3 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 09.03.2022

उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक 07.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप मे अपील अपीलान्टस के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट

A 5/2

संख्या 3 के यहां एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने तीन भाईयो के साथ ग्राम गिडानिया के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.54 हैक्टर में पिछले 40 वर्षो से अपने मकान बनाकर रह रहा है। पिछले दिनो दलीप सिंह पुत्र जयनारायण वगैरह ने भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 0.10 हैक्टर बारानी अविभाजित भूमि है तथा ग्राम गिडानिया–खेमु की ढाणी रोड से लगती हुई भूमि है के पूर्व दिशा में पत्थर छडी डालकर अवरूद्ध कर दिया है जिसके कारण मैं दूसरे खेत से अनाज, ट्रेक्टर व अन्य घरेलू सामान नही ला पा रहा हूँ जिसके कारण मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। उक्त रास्ते से मेरा आना जाना था अब सिर्फ दो फुट का रास्ता बचा है जिसके कारण मोटर साईकिल पर खल की बोरी भी पत्थरो के पीछे भिडने से गिरने का खतरा रहता है। अतः रास्ता खुलवाने की कृपा करे जिस पर प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी दलीप सिंह के नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थी दलीप सिह हाजिर आया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मनरूप के चिडावा तहसील कार्यालय मे कानूनगो के पद पर कार्यरत होने से पत्रावली की कार्यवाही को प्रभावित किये जाने के कारण पत्रावली को श्रीमानजी के आदेशानुसार न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं के यहां स्थानान्तरित किया गया जिसको न्यायालय तहसीलदार के यहां दर्ज कर नोटिस अपीलान्ट संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के नोटिस जारी किये गये जिसके बाद गत दिनांक 10.06.2020 को अपीलान्ट संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया गत दिनांक 23.07.2020 को स्वीकार किया जाकर पक्षकार बनाया गया। गत दिनांक 11.08.2020 अपीलान्ट संख्या 4 ने पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दिनांक 30.12.2020 को स्वीकार किया एवं दिनांक 01.01.2021 को अपीलान्ट संख्या 5 की ओर से पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मनरूप ने शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा एक तथाकथित प्रार्थना पत्र अजीत कुमार की ओर से सम्पर्क पोर्टल परिवाद प्रस्तुत किया गया एवं पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 04.01.2021 की नीयत की गई गत दिनांक 04.01.2021 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही गत दिनांक 07.01.2021 को अपीलाधीन कर दिया जिसके विरूद्ध अपील निम्नलिखित आधारो पर पेश की जा रही है कि मातहत अदालत का आदेश विरूद्ध कानून व पत्रावली है। मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश बिना विधिक प्रकिया को अपनाये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर जो कि पूर्व में तहसील कार्यालय चिडावा में ऑफिस कानूनगो में सेवारत था जो वर्तमान मे सेवानिवृत हो चुका है जो कि झुंझुनूं तहसीलदार का नजदीकी रिश्तेदार है। उक्त प्रकरण का अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ अदालत में विधिक तथ्यो व प्रकिया को नजर अन्दाज करते हुए जारी किया गया है। अपीलाधीन आदेश के प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 3 व 4 को पक्षकार बनाया गया है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से पूर्णतः साबित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलान्ट को वाद पक्षकार नही मानते हुए एक पक्षीय आदेश निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को उक्त प्रकरण बाबत अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई अपीलान्ट संख्या 1 भारतीय सेना में सेवारत है और फरवरी 2020 को अपने पिता दलीप सिंह की मृत्यू के बाद शोक की रस्म पूरे करने के बाद 20.2.2020 के लगभग अपनी ड्यूटी पर चला गया था जिसके बाद प्रार्थी अपीलान्ट संख्या 1 जनवरी 2020 के अन्तिम सप्ताह में छुट्टी आया है। उक्त प्रकरण बाबत अपीलान्ट संख्या 1 को कभी भी सूचना प्राप्त नही हुई और ना ही इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर साक्ष्य ही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की श्रेणी में नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कर्मचारी होने के कारण उक्त प्रकरण को धारा 251 आर.

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] ने दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वये अपने प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 0.10 हैक्टर को शामिल खातेदारी का माना है। जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अलावा करीब 75 व्यक्ति अन्य खातेदार है जिसकी बाबत माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा के यहां एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामकुमार बनाम कृपलाल आदि विचाराधीन है जिसमे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिडावा द्वारा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश किये हुये है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट पक्षकारान है तथा उक्त वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाईयो द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है जिसको वाद के वादीगण ने समस्त तथ्यो की भली भांति जानकारी होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली ने उक्त भूमि बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2019 एवं 12.02.2020 प्रस्तुत है उक्त दोनो रिपोर्ट विरोधाभाषी है। मातहत अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट संख्या 1 भारतीय सेना में सेवारत है। अपीलान्ट संख्या 2 अपनी पुत्रवधु के साथ जयपुर रहती है उक्त तथ्य गत दिनांक 03.06.2020 की तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट से भी साबित है अपीलान्ट सं. 1 व 2 घर पर नही रहते है। जिसके उक्त प्रकरण में सुनवाई का अवसर न देते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.01.2021 को पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट संख्या 4 ने दिनांक 01.01.2021 को प्रार्थना पत्र बाबत समय चाहने का प्रस्तुत किया था जिस पर किसी प्रकार का कोई आदेश न देते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है उक्त दिनांक 07.01.2021 को प्रार्थी को 08.01.2021 की पेशी बताई गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भाई होशियारसिंह के ससुराल ग्राम मोहनपुर (भामरवासी) तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं के परिवार से है तथा अजीत सहायक प्रोग्रामर झुंझुनूं का पीठासीन अधिकारी परिवार का मामा का लडका है। अधीनस्थ न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट के विरूद्ध प्रिज्युडिस होते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर नही देते हुए व विधिक प्रक्रिया का मखौल उडाते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यो का बिना अवलोकन किये हुये आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट सं. 1 व 2 को बिना सुने व बिना सूचित किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.01.2021 को अपास्त किया जावे।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया [illegible] अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स के बीच राजीनामा हो चुका है। उक्त राजीनामे के अनुसार मौके पर प्रचलित रास्ते के अनुसार रास्ता रिकार्ड मे कायम किया जाना है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जावे कि तहसीलदार चिडावा मौके पर जाकर प्रचलित रास्ते की जांच कर पक्षकारान् को सुनकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों से सहमत होकर कथन किया कि अदालत मातहत को 1 माह का समय दिया जाकर इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जावे कि तहसीलदार चिडावा मौके पर जाकर प्रचलित रास्ते की जांच कर पक्षकारान्

को सुनकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट के कथनों का कोई विरोध नही किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे दोनों पक्षकारान् राजीनामे के अनुसार मौके पर प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कराने हेतु पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत को रिमाण्ड कराने हेतु सहमत है। ऐसी स्थिति मे हम अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत को पुनः सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित करना उचित समझते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पत्रावली अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि तहसीलदार चिडावा मौके पर जाकर प्रचलित रास्ते की जांच कर पक्षकारान् को सुनकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.31 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested